न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–10/2022

गीता देवी...वादिनी

बनाम

अशोक सराफ एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
28.10.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख आवेदिका दीपा कुमारी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.12.2023 को दिये गये आवेदन आदेश हेतु नियत है। आवेदिका दीपा कुमारी की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** आवेदिका दीपा कुमारी की ओर से दिनांक 04.12.2023 को आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि प्रस्तुत वाद मूल रुप से दुल्हिन पार्वती देवी पति बैजनाथ प्रसाद को निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 04.11.1957 द्वारा अखिलानंद मिश्रा से प्राप्त थी। पार्वती देवी ने अपनी पुत्री चंपा देवी पति हीरालाल को बक्ख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 11.11.1959 द्वारा हस्तांतरित कर दखल कब्जा दे दिया। पुनः चम्पा देवी ने अपने एक पुत्र अशोक सर्राफ को दिनांक 12.05.2006 को निबंधित बक्ख्शीशनामा हस्तांतरित कर दखल कब्जा दे दिया। अपनी निजी जरूरत वास्ते अशोक सर्राफ ने दीपा कुमारी पति जितेन्द्र कुमार सोनी को निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 21.07.2022 तहरीर एवं तामिल कर दखल कब्जा दे दिया तब से वादग्रस्त भूमि आवेदिका दीपा कुमारी के शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चला आ रहा है। अंचल द्वारा शांतिपूर्वक दखल कब्जा देखते हुए जमाबंदी सृजित कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया जा रहा है। आवेदिका दीपा कुमारी वादग्रस्त भूमि के बयदार होने के कारण प्रस्तुत वाद की आवश्यक पक्षकार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका दीपा कुमारी को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की कृपा करें।	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–10/2022</u>

गीता देवी..वादिनी

बनाम

अशोक सराफ एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 28.10.2024	वादिनी की ओर से आवेदिका दीपा कुमारी के आवेदन दिनांक 04.12.2023 को प्रत्युत्तर नहीं दाखिल करने के कारण वादिनी को दिनांक 12.09.2024 को प्रत्युत्तर देने से वंचित किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। आवेदिका दीपा कुमारी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा दिनांक 21.07.2022 के बाद से बताया गया है तथा वादग्रस्त भूमि से संबंधित कागजाता दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में आवेदिका दीपा कुमारी का आवेदन दिनांक 04.12.2023 को स्वीकार किया जाता है। कार्यालय लिपिक क्रमानुसार प्रतिवादी कॉलम में पक्षकार बनावें। वाद दिनांक 13.12.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	